न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 14 / 2022

प्रविष्टि दिनांक 21.11.2022

रामलाल पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम कोटड़ा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान

.....आवेदक

बनाम

1–मुकेश पुत्र मिश्री लाल जाति मीणा निवासी ग्राम कोटड़ा तहसील दूनी जिला टोंक
2–भू–आवंटन सलाहकार समिति, देवली जिला टोंक जरिये उपखण्ड अधिकारी देवली।

..... प्रतिपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 05.02.2008 राजस्व अभियान केम्प चारनेट

उपस्थिति : (1) श्री अजय सिंह सोलंकी, अभिभाषक आवेदक
(2) श्री पवन कुमार जैन, अभिभाषक प्रतिपक्षी संख्या–1

निर्णय

दिनांक 20/12/24

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू–आवण्टन सलाहकार समिति देवली केम्प चारनेट द्वारा दिनांक 05.02.2008 को भूमि खसरा नं. 206 रकबा 0.75 हैक्टेयर बंजड(हाल खसरा नं0 584 / 206) वाके ग्राम कोटडा तहसील देवली हाल तहसील दूनी प्रतिपक्षी सं0 1 मुकेश पुत्र मिश्री लाल जाति मीणा को भूमि का आवंटन किया गया था। आवेदक ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्ध एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस प्रतिपक्षीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक आवेदक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि भू आवण्टन सलाहकार समिति का उक्त आवंटन आदेश विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। प्रतिपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि जिस समय आवंटन की गई थी उस समय आवंटी आवंटन करवाने की पात्रता नहीं रखता था क्योंकि आवंटन की दिनाक 05.02.2008 को विपक्षी आवंटी की आयु 17 वर्ष 10 माह थी जो पूर्ण रूप से वयस्क भी नहीं हुआ था। आवंटी उस समय नाबालिग था और कोई भी नाबालिग व्यक्ति विधि अनुसार आंवटन करवाने की पात्रता नहीं रखता है। किन्तु इस महत्वपूर्ण तथ्य पर आवंटन सलाहकार समिति ने कोई ध्यान नहीं देकर आवंटन करने में गलती की है। आवंटी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में आवंटी ने अपनी आयु 20 वर्ष अंकित की है जिसको पटवारी भू अभिलेख निरीक्षक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

एवं स्वंय तहसीलदार ने तस्दीक किया है जबकि आवंटी द्वारा जो आवेदन पत्र प्रारूप 3 के तहत उपखण्ड अधिकारी देवली के समक्ष प्रस्तुत किया है उसमें आवेदक ने अपनी आयु 23 वर्ष अंकित करते हुए आवंटन के लिए आवेदन किया है। इस प्रकार स्वंय आवंटी को यह पता नहीं है कि उसकी आयु कितने वर्ष है। इस प्रकार आवंटी ने यह आवेदन भू आवंटन सलाहकार समिति को धोखा देकर करवाया है। प्रतिपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि को आवंटन करवाने का पात्र नहीं था क्योंकि वह बोनाफाईड कृषक नहीं है तथा वह भूमिहीन की श्रेणी में भी नहीं आता है। आवंटी को भूमि खसरा नं0 206 में 0.75 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया है उस भूमि पर आवंटी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। उक्त भूमि पर आवंटन से पूर्व अर्थात गत 35 वर्षों से भी अधिक समय से आवेदक का मोके पर बदस्तूर कब्जा चला आ रहा है जिसका अंकन गत 35 वर्षों की खसरा गिरदावरी में कब्जे का अंकन आवेदक के नाम चला आ रहा है जिससे भी पूर्ण रूप से साबित है कि उक्त भूमि पर कभी आवंटी प्रतिपक्षी संख्या 1 का कब्जा नहीं रहा है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जो आवंटन किया गया है उससे पूर्व आवेदक को कभी भी उक्त भूमि से बेदखल नहीं किया और न ही उक्त भूमि को आवंटन करने बाबत कोई उदघोषणा जारी की गई और न ही आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उपयोगी व अनुउपयोगी भूमि की सूची ही तैयार करवायी गई और बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये आवंटन करने का आदेश पारित किया है। आवंटी विपक्षी ने उक्त भूमि को आवंटन के पश्चात कभी काश्त नहीं किया। जबकि आवंटन नियमों के अनुसार नियम 14 (3) के अनुसार प्रथम वर्ष में 1/2 भूमि एवं द्वितीय वर्ष में सम्पूर्ण भूमि को काश्त करना आवश्यक होता है। आवंटी काश्तकार पेशा व्यक्ति भी नहीं था उसका मुख्य व्यवसाय काश्त करना भी नहीं है। बल्कि आवंटी विपक्षी का मुख्य व्यवसाय ड्राईवरी करना है, विपक्षी संख्या 1 को तो यह पता तक नहीं है कि उक्त जमीन कहां स्थित है और ना ही उसने इस जमीन को कभी काश्त किया है।

अतः आवेदन पेश कर निवेदन हैं कि आवेदन स्वीकार किया जाकर विपक्षी सं. 1 के हक में किया गया आवंटन बाबत भूमि खसरा नं. 206 रकबा 0.75 हैक्टेयर (हाल ख0नं0 584/206) वाके ग्राम कोटडा दिनांक 05.02.2008 को निरस्त फरमाया जावें। अभिभाषक ने अपने कथन की पुष्टि में नकल जमाबन्दी संवत 2063–2066 व 2071 से 2074 तक, आवेदन पत्र तथा आवंटित भूमि के फोटोग्राफ तथा आवंटी के माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति पेश की है।

विद्वान अभिभाषक प्रतिपक्षी सं0 1 ने अभिभाषक आवेदक की बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि आवेदक द्वारा जो प्रकरण न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उसका पूर्व में ही मदन पुत्र छोटू कुम्हार द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21.09.2012 को निर्णय हो चुका है जिसमें उक्त आवंटन को यथावत रखा गया था। अब आवेदक रामलाल पुत्र रामकरण ने पुनः उसी आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रकरण न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया है जो कि Res-judicata की श्रेणी में आता है। इस तरह भिन्न व्यक्तियों द्वारा आवंटी को मात्र मानसिक प्रताड़ना देने के लिए प्रकरण प्रस्तुत किये जा रहे है जो खारिज योग्य है। यद्यपि आवंटन के समय आवंटी अवयस्क था परन्तु समस्त विधिक प्रकिया अपनाकर विधिवत आवंटन किया गया था। आवंटन के लगभग 14 वर्षो बाद उक्त प्रार्थना पत्र

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
टोंक

प्रस्तुत किया गया है, जो खारित योग्य है। अभिभाषक ने अपने कथन की पुष्टि में नजीर AIR 1994(SC) 1128 पेश की है। आवंटन के समय भूमि रिकॉर्ड में राजकीय सिवायचक भूमि के रूप में थी जो कि सदैव आवंटन के लिए उपलब्ध एवं रिक्त भूमी की संज्ञा में मानी जाती है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी से भूमि पर काश्त की स्थिति ज्ञात होती है परन्तु स्वामित्व अधिकार साबित नहीं होते है। यदि उक्त आवेदक द्वारा भूमि पर काश्त की भी जा रही थी, तो उसकी हैसियत एक अतिक्रमी के रूप में है जिसका कानूनन कोई महत्व नहीं है। अतिक्रमित भूमि भी सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति को आवंटित की जा सकती है। आवंटी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। आवेदक का यह कथन कि आवंटी द्वारा प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि व द्वितीय वर्ष में संपूर्ण भाग पर काश्त नहीं कर आवंटन शर्तों की पालना नही की है। इस संबंध में राज्य सरकार ने राजस्थान भू–राजस्व नियम–1970 में उक्त शर्त में शिथिलता प्रदान की गई है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ्स से भूमि पर अधिकार साबित नहीं होते है साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त फोटोग्राफ्स किस भूमि के है। यदि आवेदक का उक्त भूमि पर लम्बे समय से कब्जा था तो तत्समय आवेदक द्वारा आवंटन समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया। आवेदक ने आवंटी के भूमिहीन कृषक नहीं होने के संबंध में कोई साक्ष्य न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किये है। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र आवेदक खारिज किया जाकर उक्त आवंटन यथावत रखा जावें। अभिभाषक प्रतिपक्षी ने अपने कथन की पुष्टि में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 21.09.2012 की प्रमाणित प्रति व कुछ न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस को सुना एंव मनन किया तथा पत्रावली पर आये सबूत/दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि भू– आवंटन सलाहकार समिति केम्प चारनेट द्वारा दिनांक 05.02.2008 को भूमि खसरा नं0 206 रकबा 0.75 हैक्टेयर बंजड(हाल खसरा नं0 584/206) वाके ग्राम कोटडा तहसील देवली हाल तहसील दूनी प्रतिपक्षी सं0 1 मुकेश पुत्र मिश्री लाल जाति मीणा को भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त आवंअन के विरूद्ध पूर्व में ही मदन पुत्र छोटू कुम्हार द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21.09.2012 निर्णय हो चुका है जिसमें उक्त आवंटन को यथावत रखा गया था। अब आवेदक रामलाल पुत्र रामकरण ने पुनः उसी आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रकरण न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया है जो कि Res-judicata की श्रेणी में आता है। **"सी.पी.सी. की धारा 11 के तहत जब किसी वाद या विवाधक को किसी न्यायालय द्वारा एक बार निस्तारित कर दिया जाता है तो उसी वाद या विवादक को या आधार को लेकर वही पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि या उनके उत्तराधिकारी दोबारा उसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं कर सकते तथा ना ही न्यायालय ऐसे आवेदन या विवाधक को सुनेगा"।**

"Res judicata.-No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit beween the same parties or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to

try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, and has been heard and finaly dicided by such Court".

चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4)भू–आवंटन नियम 1970 में वर्णित आराजी का न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21.09.2012 को निर्णय पारित किया जा चुका है। जिसमें उक्त आवंटन को यथावत रखा गया था। प्रार्थी को न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.09.2012 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चारा–जोही करना चाहिए था, परन्तु आवेदक द्वारा उसी भूमि को लेकर आंवटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया गया है। जो कि Res-judicata की श्रेणी में आता है।

उक्त आवंटन दिनांक 05.02.2008 को किया गया था जिसे निरस्त कराने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र लगभग 14 वर्षो बाद न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अभिभाषक प्रतिपक्षी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत नजीर **AIR 1994(SC) 1128** पूर्णत चस्पा होती है कि लगभग 2 दशक बाद आवंटन रद्द नही किया जा सकता है। अभिभाषक आवेदक ने आवेदन पेश करने में हुई देरी के लिए कोई ठोस कारण/आधार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है। आवेदक ने विवादित भूमि पर अपना स्वामित्व अधिकार होने के संबंध में भी कोई ठोस सबूत/प्रमाण न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है। आवेदक ने ऐसा कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सके। आवंटन सलाहाकार समिति देवली केम्प चारनेट द्वारा भूमि खसरा नं. 206 रकबा 0.75 हैक्टेयर बंजड(हाल खसरा नं0 584/206) वाके ग्राम कोटडा तहसील देवली हाल तहसील दूनी प्रतिपक्षी सं0 1 मुकेश पुत्र मिश्री लाल जाति मीणा को किया गया भूमि का आवंटन निरस्त किया जान उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर दिनांक 05.02.2008 को प्रतिपक्षी सं0 1 मुकेश पुत्र मिश्री लाल जाति मीणा को भूमि खसरा नं. 206 रकबा 0.75 हैक्टेयर बंजड(हाल खसरा नं0 584/206) वाके ग्राम कोटडा तहसील देवली हाल तहसील दूनी में किया गया भूमि का आवंटन यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता हैं।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

निर्णय आज दिनांक 20/12/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अति.जिला कलेक्टर,टोंक